

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक: F26(4)(18)M.Convergece/IEC/ICDS/2017-18/201615-648 जयपुर, दिनांक : 27/11/18
उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

विषय:-वित्त वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा-72 की अनुपालना में 15 से 45 आयु वर्ग की ग्रामीण महिलाओं हेतु मेनस्ट्रुल हाईजीन स्कीम के संबंध में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा-72 की अनुपालना में 15 से 45 आयु वर्ग की ग्रामीण महिलाओं हेतु मेनस्ट्रुल हाईजीन स्कीम के क्रियान्वयन के क्रम में मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 21.08.2018 को आयोजित हुई बैठक में हुयी चर्चानुसार सेनेटरी नेपकीन की मांग को सुनिश्चित करने हेतु जिलों में कार्यरत समस्त उपनिदेशक, आईसीडीएस को अपने जिले का नोडल अधिकारी बनाया जाता है।



निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: F26(4)(18)M.Convergece/IEC/ICDS/2017-18/201649-655 जयपुर, दिनांक : 27/11/18
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, जयपुर .
4. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर
5. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, (RCH), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर
7. अतिरिक्त निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर



अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर